



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04052022-235545  
CG-MH-E-04052022-235545

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944

No. 236]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 14 मार्च, 2022

अधिसूचना सं. डीओआर. एफआईएन.आरईसी.95/सीजीएम (जेपीएस)-2022.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-एनसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या गैबैपवि.138/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000 में तत्काल प्रभाव से, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, -

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धाराएं 45आईए, 45आईबी और 45आईसी उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होगी।

(i) जो कि

(ए) केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा) निदेश, 2022 के तहत परिभाषित माइक्रोफाइनेंस ऋण प्रदान करती हो, बशर्ते कि एक परिवार का मासिक ऋण दायित्व मासिक घरेलू आय के 50 प्रतिशत से अधिक न हो; तथा

(बी) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्राप्त हो; तथा

(सी) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के तहत परिभाषित सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करती हो; तथा

(डी) उसका आस्ति का आकार ₹100 करोड़ से कम हो।

(ii) जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 3(x) में परिभाषित म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी हो।

जे. पी. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक  
[विज्ञापन III/4/असा./51/2022-23]

## RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Regulation)

(CENTRAL OFFICE)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 14th March, 2022

**Notification No. DoR. FIN. REC. 95 /CGM (JPS)-2022.**—In exercise of its powers conferred under Section 45-NC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India, on being satisfied that it is necessary so to do, hereby makes the following amendment in the notification No. DNBS.138/CGM (VSNM)-2000 dated January 13, 2000 with immediate effect, namely, —

Paragraph 1 of the said notification, shall be substituted by the following:

(1) Sections 45IA, 45IB and 45IC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall not apply to any non-banking financial company

(i) which is

- (a) providing only microfinance loans as defined under the Reserve Bank of India (Regulatory Framework for Microfinance Loans) Directions, 2022, provided the monthly loan obligations of a household does not exceed 50 per cent of the monthly household income; and
- (b) licensed under Section 25 of the Companies Act, 1956 or Section 8 of the Companies Act, 2013; and
- (c) not accepting public deposits as defined under the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 2016; and
- (d) having asset size of less than ₹100 crore.

(ii) being a mutual benefit company as defined in paragraph 3(x) of the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 2016.

J.P. SHARMA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./51/2022-23]